गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता हेतु निर्देश

1) प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता आवश्यक दस्तावेजों के साथ लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा कार्यालय में विहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा।
2) गति नियंत्रक उपकरण विनर्माता द्वारा एम०आई०एस० सेंटर स्थापित करने, राज्य में Retro Fitment Centre (RFC) स्थापित करने एवं विभाग से विधिवत निबंधन/एप्रूवल प्राप्त करने के उपरांत ही विनिर्माता/अधिकृत डीलर द्वारा वाहनों पर गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3) विनिर्माता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा निर्मित गति नियंत्रक उपकरण के संबंध में पेटेंट एक्ट/कॉपी राईट/ट्रेडमार्क एक्ट के उल्लंधन के लिए ना तो वह दोषी सिद्ध किया गया हैं, ना ही उस पर इस विषय में कोई मुकदमा दर्ज है और ना ही कोई जॉच लंबित है। यदि गति नियंत्रक उपकरण विनिर्माता द्वारा गलत, फर्जी या तथ्यों को छुपाकर कोई जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो विभाग को ऐसे विनिर्माता को गति नियंत्रक उपकरण लगाने के लिए जारी निबंधन को निलंबित या रद्द करने का अधिकार होगा।
4) विनिर्माता द्वारा जिला स्तर पर अधिकृत डीलर नियुक्त किये जायेंगे जो कि Retro Fitment Centre (RFC) कहलायेंगे। मात्र इन्हीं सेंटर्स पर वाहनों में SLD अधिष्ठापित किया जायेगा।
5) विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत/अधिकृत प्रत्येक डीलर की संपूर्ण जानकारी सहित सूचना मुख्यालय/जिला परिवहन कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। यदि एक ही व्यक्ति को पृथक-पृथक निर्माता द्वारा डीलर नियुक्त किया जाता है तो प्रत्येक निर्माता के अधिकृत डीलर के रूप में कार्य करने की सूचना मुख्यालय/जिला परिवहन कार्यालय को दी जायेगी–
   - पते का प्रमाण पत्र।
   - डीलरशीप प्रमाण पत्र।
   - इस आशय का प्रमाण पत्र कि SLD फिटमेंट हेतु पर्याप्त स्थान की उपलब्धता है।
   - फिटमेंट प्रमाणपत्र की नमूना प्रति।
   - जी०एस०टी० पंजीयन की प्रमाणित प्रति।
6) विनिर्माता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि केवल उसके अधिकृत डीलरों द्वारा ही झारखण्ड राज्य में वाहनों पर गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने का कार्य किया जायेगा।
7) विनिर्माता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके या उसके अधिकृत डीलर द्वारा विभागीय निदेशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा।
8) विनिर्माता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके या उसके अधिकृत डीलर द्वारा गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने के पश्चात् एम.आई.एस. डाटाबेस में संपूर्ण विवरण अंकित कर उसका एक प्रमाण पत्र वाहन स्वामी को प्रदान किया जायेगा। प्रस्तुत फिटमेंट सर्टिफिकेट में विभागीय निदेशों में उल्लेखित संपूर्ण जानकारी क्रमानुसार निहित होगी।
9) विनिर्माता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके या उसके अधिकृत डीलर द्वारा SLD फिट करने के उपरान्त वाहन स्वामी के लिये आवश्यकतानुसार SLD की सर्विसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10) विनिर्माता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि केवल उन्ही गति नियंत्रक उपकरणों का रिकेलीब्रेशन/रिपेयर उनके द्वारा किया जायेगा जो उनके द्वारा निर्मित किये गये है तथा प्रत्येक रिकेलीब्रेशन/रिपेयर की जानकारी संबंधित पंजीयन अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।